कार्यालय जिला पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

विज्ञापन

क्रमांक/ 15516 /जि.पं./ डी.आर.डी.ए./ 2016-17 कांकेर दिनांक 20/02/2017

जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर में स्वीकृत डी.आर.डी.ए. के सेटअप अनुसार निम्नांकित पद रिक्त हैं जिसे इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले केवल कांकेर जिलें के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे । दिनांक 28 02/2017 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र का प्रारूप नियम एवं शर्ते जिला पंचायत कांकेर की सूचना पटल एवं www.kanker.gov.in/www.zpkanker.gov.in में देख सकते है । पदों का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पद का नाम एवं आरक्षण	पद संख्या	एक मुश्त वेतन/संविदा मासिक वेतन रू.	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण
1	2	3	4	5	6
1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी अजा - 00 अजजा - 01 अपिव - 00	1	20342	गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।	**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशतों पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 70 अंक कम्प्युटर प्रायोगिक परीक्षा पर 20 अंक शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव- 5 अंक 5 वर्ष से अधिक का अनुभव-10 अंक**
2	शीघ्रलेखक/ स्टेनोग्राफर अजा - 00 अजजा - 01 अपिव - 00	1	15638	01. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 02. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से -(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए -हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए -अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) । (ग) द्विभाषी - शीघ्रलेखक के लिए -ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) । मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशतों पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए - 50 अंक कम्प्युटर प्रायोगिक परीक्षा पर - 40 अंक शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव - 5 अंक 2 वर्ष से अधिक का अनुभव-10 अंक**

	सहायक ग्रेड-03 अजा - 01 अजजा- 01 अनारक्षित-01	3	10612	01. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 02. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा, 03. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए - 40 अंक कम्पूटर व प्रायोगिक परीक्षा मे - 45 अंक शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव - 5 अंक 5 वर्ष तक का अनुभव-10 अंक 5 वर्ष से अधिक का अनुभव - 15 अंक
4	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अजा - 00 अजजा - 00 अपिव - 00 अनारक्षित - 01	1	13776	(1) कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा, कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण (2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति । (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्र 100 अंकों का वेटेज देते हुए - 40 अंक कम्पूटर व प्रायोगिक परीक्षा में - 45 अंक शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव - 5 अंक 5 वर्ष तक का अनुभव-10 अंक 5 वर्ष से अधिक का अनुभव - 15 अंक
5	वाहन चालक अजा - 00 अजजा -00 अपिव - 00 अनारक्षित -01	1	10612	(1) मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा आठवी परीक्षा उत्तीर्ण । (2) परिवाहन विभाग द्वारा हल्का वाहन चलाने का वैद्य ड्रायवीग लाईसेंश।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का वेटेज देते हुए - 40 अंक वाहन चलाने का प्रायोगिक परीक्षा में - 45 अंक शासकीय/ ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव - 5 अंक 5 वर्ष तक का अनुभव-10 अंक 5 वर्ष से अधिक का अनुभव - 15 अंक
प्रतिनियुक्ति/संविदा पर अधीक्षक के पद पर भर्ती किए जाने हेतु।					
6	अधीक्षक अजा-00 अजजा- 01 अपिव - 00 अनारक्षित-00	1	20342 (संविदा)	(प्रतिनियुक्ति) जिला कांकेर अन्तर्गत किसी शासकीय संस्था में कार्यरत शासकीय कर्मचारी सहायक ग्रेड -02/लेखापाल जिसकी सेवा अवधि 20 वर्ष पूर्ण किया गया हो। (संविदा) (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक द्वितीय श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण। (2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति । (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) नोटः- प्रतिनियुक्ति पर अधीक्षक के पद पर उम्मीदवार नही मिलने पर संविदा पर नियुक्ति की जावेगी।	विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना एवं स्वयं की सहमति अनिवार्य होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जावेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का वेटेज देते हुए - 40 अंक कम्प्यूटर कौशल परीक्षा में - 45 अंक शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओ में कम से कम समान वेतन पर कार्य अनुभव न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक अनुभव- 5 अंक 5 वर्ष तक 10 अंक 10 वर्ष से अधिक का अनुभव -15 अंक

पद क्रमांक 01 से 05 तक संविदा भर्ती के लिये नियम एवं शर्तें। प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नही होगा।

1 कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से 02 जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगा साथ ही छ.ग. सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 में नियुक्ति के लिये अनर्हताएं भी लागू होगीं।

2 सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की पेंशन, भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी ।

3 अभ्यर्थी को कांकेर जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है । सक्षम अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

4 शैक्षणिक योग्यता में छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/ वि.वि. से मान्य होगा।

5 अजा/अजजा/एवं पिछड़ा वर्ग की जाति की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

6 आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवश्यक है । प्रतिनियुक्ति के पद के लिए लागू नही होगा।

आवेदक की आयु 01.01.2017 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष । अजा/अजजा/एवं पिछड़ा वर्ग एवं महिला तथा दिव्यांग को राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गए आदेशों के अनरूप आयु सीमा में छुट की पात्रता होगी ।

8 आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे । आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची स्वयं द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए । वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा एवं स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा जिसमे 5 रू. का टाक टिकल लगा हुआ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9 आवेदन पत्र में स्व. प्रमाणित, स्वयं का पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है ।

10 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन दिया जाना होगा ।

11 अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटी पूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा ।

12 लिफाफे के उपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, को स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है । इसी प्रकार लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा हो।

13 आवेदक का आवेदन दिनांक 28.02.2017. को सायं 5:30 बजें तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक से जिला पंचायत कार्यालय कांकेर में अनिवार्य रूप प्राप्त हो जाना चाहिए, दिनांक.28.02.17 को सायं 5:30 बजें के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

14 नियोक्ता के साथ करार पत्र (संविदा पत्र) निष्पादित करना होगा ।

15 अनुभवी अभ्यर्थी को कार्यरत संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संस्था प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति आदेश संलग्न करना होगा । उक्त के अभाव में आवेदन मान्य नहीं होगा ।

16 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में समान पद पर कार्यनुभव के प्रमाण पत्र के आधार पर अनुभव अंक की पात्रता होगी।

17 प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

18 पदों की संख्या घटाई या बढाई जा सकती है रिक्त पद के विरूद्ध अन्य प्रवर्ग के आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं।

19 नियुक्ति के दौरान दोंनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

20 संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं सविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति अवधि बढाने का निर्णय लिया जा सकता है।

21 संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर.(कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) लेखबद्ध किया जाएगा एवं संविदा आधार पर आगे और नियुक्ति के लिए उसका/उसकी विचारण किये जाने की दशा में, संविदात्मक सेवा की कालावधि के विस्तारण हेतु उसका/उसकी गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर. (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) का निर्धारण उत्कृष्ट या बहुत अच्छा होना आवश्यक है।

22 संविदा पद नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिवस ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।

23 उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एक मुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाडा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

24 शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

25 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है। परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।

20/2/17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पचांयत
जिला उत्तर बस्तर कांकेर